फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री सुखचैन सिंह पुत्र श्री कौर सिंह निवासी ढाबा झल्लार तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर		लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा न. 71 वर्ष 2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.12.2018	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 22.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2012 लेवल 2 विषय सामाजिक विज्ञान रोल नम्बर 80200755 में भाग लिया था। जिसमें दिनांक 30.04.2018 को दस्तावेज जॉच के बाद अंतिम कट–ऑफ अंको संबंधी सूचना की प्रमाणित सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– लोक सूचना अधिकारी को जमा करा दिये है फिर भी उसके द्वारा दिनॉक 22.10.18, को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2012 लेवल 2 विषय सामाजिक विज्ञान रोल नम्बर 80200755 में भाग लिया था। जिसमें दिनांक 30.04.2018 को दस्तावेज जॉच के बाद अंतिम कट–ऑफ अंको संबंधी से प्रमाणित सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सिरोही से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सिरोही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नही हैं । अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती हैं । अपीलांट चाहे तो सक्षम अधिकारी को अपील करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (अनुपमा जोरवाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned by CamScanner